



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012023-242005
CG-DL-E-16012023-242005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]
No. 26]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 2023/पौष 26, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 2023/PAUSHA 26, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 27(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (राजभाषा) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2015, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमांडेंट (राजभाषा), समूह 'क' पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (राजभाषा), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए संविदा की है,

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सा दृष्टिया योग्यता** - इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा श्रेणी शेष-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

6. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक कमांडेंट (राजभाषा)	45 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसूचित	स्तर-10 (56,100-177500/- रुपए)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7(44900-142400 रुपए) की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और चिकित्सा श्रेणी शेष-1 को पूरा करने के अधीन रहते हुए सहायक कमांडेंट (राजभाषा) पद के लिए विनिर्दिष्ट मान्यताप्राप्त संस्था से प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण की हो।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा पूर्ण होने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या राज्य पुलिस संगठन के योद्धक अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद में से जो :

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रुपए) या समतुल्य स्तर में तीन वर्ष नियमित सेवा की है;

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं, अर्थात्:-

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो ;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या

	दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में और विपर्ययन में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य और विपर्ययन में दो वर्ष का अनुभव। (ग) चिकित्सा श्रेणी शेष-। (घ) वांछनीय: हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नत द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -अध्यक्ष; 2. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य; 3. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य; 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय -सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -अध्यक्ष; 2. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य; 3. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य; 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय -सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. आर.नौ.1/2021-मंत्रा.-डीए.-3]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2023

G.S.R. 27(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), and in supersession of the Central Reserve Police Force, Assistant Commandant (Official Language) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commandant (Official Language) Group 'A' Post in the Central Reserve Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Commandant (Official Language), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Fitness.** – Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Commandant (Official Language).	45 (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100-177500/)	Selection post

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion, failing which by deputation.	Promotion : From amongst Inspector (Hindi Translator) in level 7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix with three years regular service in the grade subject to fulfillment of medical category SHAPE-I and successful completion of training from recognised institute specified for the post of Assistant Commandant (Official Language). Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. Deputation: From amongst combatised Ministerial staff of Central Armed Police Force or the Central Government or Union territories or the State Police organisation holding; (a) (i) analogous post on a regular basis: or (ii) posts in level 7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent with three years regular service in the level. (b) possessing the following qualification, namely :- Masters degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as medium of examination at the degree level; OR Masters Degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English and Hindi as a compulsory or elective subject or either of two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and Recognised Diploma or Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the Central Government/State Government Offices including Government of India Undertaking.

	(c) Medical Category SHAPE-I. (d) Desirable : Knowledge of Computer Operation in both Hindi and English. Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2 : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--

If a departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union public service commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force -Chairman; 2. Inspector General, Central Reserve Police Force -Member; 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force -Member; 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force -Chairman; 2. Inspector General, Central Reserve Police Force -Member; 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force -Member; 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs -Member.	Not applicable.

[F. No. R.IX.1/2021-Min-DA-3]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)